

## ग्रामीण आवास निधि एवं शहरी आवास निधि

वर्ष 2014-2015- हेतु, रा 8000 .के तहत रु (आरएचएफ) बैंक को ग्रामीण आवास निधि.आ.करोड़ की राशि एवं शहरी आवास निधि रु 4000 .के तहत रु (यूएचएफ)करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

उपरोक्त दोनों निधियों हेतु यथा दिनांक 01.07.2016 को रा। निधियों की बैंक को संवितरित एवं उपलब्ध.आ.

-: प्रकार हैस्थिति निम्न

(करोड़ में .रु )

	आरएचएफ	यूएचएफ
निबटान हेतु निधियां	1883.98	43.43
पहले से प्रतिबद्ध निधियां	--	-
तमिलनाडु राहत निधि हेतु निधियां	--	43.29
शेष	1883.98	0.14*

इन निधियों का उपयोग प्राथमिक ऋणदातों संस्थानों अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के द्वारा अन्ततिम उधारकर्ताओं को उनके द्वारा ऋण देने के लिए किया जा सकता है जैसाकि संबंधित योजनाओं में दिया गया है। इन योजना के विवरण को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।

<http://www.nhb.org.in/Financial/reFin.php>

इन योजनाओं के तहत वे दरें जिन पर राष्ट्रीय आवास बैंक पीएलआईज को ऋण देगा और उस पर ऋण की उच्चतम सीमा का विवरण नीचे दिया गया है -:

निधि	पीएलआई	ब्याज दर	ऋण की उच्चतम सीमा
आरएचएफ	आऔर .कं.वि. आरआरबीज	6.12% प्रति वर्ष	9.62% प्रति वर्ष
	एससीबीज	6.12% प्रति वर्ष	आधार दर
यूएचएफ*	और आरआरबीज	6.87% प्रति वर्ष	10.37% प्रति वर्ष
	एससीबीज	6.87% प्रति वर्ष	आधार दर

# चालू बैंक दर अर्थात के आधार पर संगणक 8.50

\* उक्त ब्याज दर एवं उच्चतम दर यूएचएफ के तहत 0.14 करोड़ की शेष राशि के लिए लागू है।

उक्त योजनाओं के तहत सहवितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रक्रमणित है।